(1)

अनुसूची 14– फारम सं. 562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 53/18–19

केश का प्रकार : बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 की धारा–08 के अंतर्गत दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद

अर्जीकारः– जागेश्वर यादव

प्रतिपक्षीः–सरकार/बिन्देश्वर यादव

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अर्जीकारः– जागेश्वर यादव पिता स्व0मंत्री यादव, साकिन–सिसबाबरही डाकघर–सिसबाबरही, थाना–फुलपरास, जिला–मधुबनी। प्रतिपक्षीः– 1– सरकार 2–अंचल अधिकारी,फुलपरास, ...**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 3–बिन्देश्वर यादव पिता–स्व0अयोधी यादव, साकिन–धनौजा, बहुअरवा टोले सुराहा, थाना–फुलपरास जिला–मधुबनी.....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।**	
	आदेश	
9.3.17	प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद आवेदक के आवेदन पर प्रारम्भ करते हुये दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सूनने के पश्चात् वाद आदेशार्थ रखा गया। **आवेदक की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–** 1– प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय **दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05/2016–17** बिन्देश्वर यादव–बनाम–अंचल अधिकारी वो जागेश्वर यादव वगैरह में पारित आदेश **दिनांक– 07.04.2017** के विरूद्ध लाया गया है। 2– मौजा–धनौजा थाना–फुलपरास खाता नं. 399 खेसरा संख्या–2871 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर चुमित यादव उर्फ चनी यादव की थी जिसपर वे हकीयत के साथ दखलकार थे। उक्त चुमित यादव अपने पीछे पत्नी दाईवती देवी वो तीन पुत्रियॉ 1– कुसमा देवी 2–रेशमा देवी वो 3– दनमा देवी को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये। 3– रेशमा देवी को तीन पुत्रियॉ क्रमशः 1– कुसमा देवी, 2– पवन देवी वो 3– शीला देवी। चुमित यादव की मृत्यु के उपरान्त उनके सम्पत्ति पर उनके सभी वारिशान हकीयत दखलकार हुये। 4– दाईवती देवी अपनी जायदाद खेसरा नं. 2743 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर रेशमा देवी के सेवा–टहल से खुश होकर निबंधित दान.पत्र द्वारा दान कर दखल दे दिया। 5– दाईवति देवी ने जरूरीयात खेसरा नं. 2248 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर मौजे सिसवा बरही की एराजी निबंधित केवाला से बिक्री कर दखल दे दिया। 6– दाईवति देवी वर्ष 1990 में स्वर्गवासी हो गई। खाता संख्या–399 खेसरा संख्या–2871 रकवा 3 कट्ठा 7 धुर कुसमा देवी वो दनमा देवी	

पेसरान चुमित यादव उर्फ चुन्नी यादव के हिस्से वो पट्टी में आया वो कुसमा देवी वो दनमा देवी ने खेसरा संख्या– 2871 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर केवाला से जागेश्वर यादव आवेदक को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिया।

7–आवेदक के आवेदन पर अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज वाद संख्या–1220/2015–16 से दाखिल खरिज की स्वीकृति प्रदान किया। आवेदक के नाम दाखिल खारिज होने के उपरान्त विपक्षी ने अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया जिसे अंचल अधिकारी ने अस्वीकृत कर दिया।

8–बिन्देश्वर यादव ने केवाला दिनांक– 19.09.2013 का मरम्मतनामा खेसरा नं. 2871 रेशमा देवी वो पवन देवी से दिनांक– 08.02.2014 को कराया तत्पश्चात् भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–05/2016–17 दायर किया जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या– 1220/2015–16 में पारित आदेश दिनांक–17.12.2015 को निरस्त करते हुये अभिलेख को रिमाण्ड करते हुये जॉच कर दखल कब्जा के आधार पर दाखिल खारिज से संबंधित विधिवत् आदेश पारित करने का आदेश दिया।

09– भूमि सुधार उप समाहर्ता को सर्व–प्रथम विचार करना चाहिए था कि जब दानपत्र दिनांक– 07.04.1988 में खेसरा नं. 2871 दर्ज नहीं है वो भी केवाला दिनांक– 20.05.88 में भी खेसरा नं. 2871 दर्ज नहीं है वैसी स्थिति में मरम्मतनामा लिखने का कोई हक वो अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति अपने से बेहतर टाईटिल हस्तान्तण नहीं कर सकता है उस परिस्थिति में भी मरम्मतनामा दिनांक– 08.02.2014 कानूनन वैध्य नहीं है।

10– दस्तावेजी सबूतों से स्पष्ट है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता द्वारा पारित आदेश निरस्त होने योग्य है जिसे निरस्त किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी संख्या–3 बिन्देश्वर यादव की ओर से प्रस्तुत वकालतन पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1– आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–5/2016–17 में पारित आदेश दिनांक–07.04.2017 के विरूद्ध दायर है।

2– आवेदक ने अंचल अधिकारी के समक्ष मौजा–धनौजा के खाता नं. 399/371 खेसरा संख्या– 2871/6577 रकवा 3 कट्ठा 7 धुर का दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया जो दाखिल खारिज वाद संख्या–1220/2015–16 अंकित हुआ जिसमें 17.12.2015 को स्वीकृति दी गई। स्वीकृति आदेश में जमाबंदी का उल्लेख नहीं है तथा जमाबंदीदार को सूचना भी नहीं दी गई।

3– अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध बिन्देश्वर यादव ने उप समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–5/2016–17 दायर किया जिसमें अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज वाद में पारित आदेश को निरस्त करते हुये अभिलेख को अंचल अधिकारी फुलपरास को रिमांड कर दिया तथा अंचल अधिकारी को आदेश दिया कि मौजा– बहुअरवा के खेसरा

संख्या–2871 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर का स्थल जॉच कर दखल कब्जा के आधार पर दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दाखिल खारिज से संबंधित विधिवत् आदेश पारित करें।

4– उक्त आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी फुलपरास ने दोनों पक्षों की उपस्थिति एवं स्थानीय निरीक्षण के बाद दाखिल खारिज वाद संख्या–1220/15–16 को निष्पादित करते हुये बिन्देश्वर यादव (विपक्षी) के पक्ष में आदेश दिया।

5– अंचल अधिकारी द्वारा रिमाण्ड आदेश के बाद जो आदेश पारित हुआ उसके बाद जागेश्वर यादव ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–5/2016–17 में पारित आदेश के विरूद्ध यह रिभिजन आवेदन दायर किया है जो संधार्य नहीं है वो खारिज होने योग्य हैं

6– रेशमा देवी वो पवन कुमारी मिलकर खेसरा नं. 2743 का 3 कट्ठा 7 धुर वो 2871 का 3 कट्ठा 7 धुर केवाला दिनांक– 20.05.1988 द्वारा बिन्देश्वर यादव विपक्षी संख्या–3 को बिक्री कर दखल दे दिया। उक्त केवाला में गलती वो धोखा से **खेसरा–2871** के बजाय **खेसरा–2248** दर्ज हो गया जिसे बाद में रेशमा देवी वो पवन कुमारी ने निबंधित मरम्मतनामा तामिला कर दिया।

7– बिन्देश्वर यादव को प्रश्नगत भूमि पर पूर्ण स्वत्व के दखलकार हैं वो उसमें से सिर्फ पुराना खेसरा नं. 2871 नया खेसरा नं. 6577 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर का यह विवाद है।

8– आवेदक जागेश्वर यादव ने गलत केवाला तामिला करवा लिया जो जाली फरेबी वो बिना जरसेमन के है। उक्त जमीन पर बिक्रेता को कभी दखल नहीं था। उक्त केवाला के बुनियाद पर जागेश्वर यादव आवेदक को कभी भी हकीयत या दखल नहीं हुआ वो न है। आवेदक का दावा बिल्कुल गलत वो निराधार है। आवेदक द्वारा दायर रिभिजन खारिज किया जाय।

भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा अपील वाद संख्या–05/16–17 बिन्देश्वर यादव–बनाम–अंचल अधिकारी, फुलपरास एवं जागेश्वर यादव में पारित आदेश दिनांक–07.04.17 का मुख्य अंशः–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन स्वीकृत कर अंचल अधिकारी, फुलपरास द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–1220 में दिनांक–17.12.2015 को पारित आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुये निरस्त कर अभिलेख को रिमाण्ड करते हुये वाद पत्र की जमीन मौजा–बहुअरवा के खेसरा नं. 2871 रकवा 3 कट्ठा 7 धूर का स्थल जॉच कर दखल कब्जा के आधार पर एवं दोनों पक्षों को नोटिस निर्गत कर दाखिल खारिज से संबंधित विधिवत् आदेश पारित करें।

निष्कर्षः–

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन, प्रतिपक्षी का प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश दोनों पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये बहस का अवलोकन एवं परिसिलन किया।

आवेदक का पुनरीक्षण आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध है।

(8)

प्रतिपक्षी के प्रत्युत्तर का मुख्य अंश है कि अंचल अधिकारी द्वारा रिमाण्ड आदेश के बाद जो आदेश पारित हुआ उसके बाद आवेदक को भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में अपील दायर करना चाहिए जो नहीं किया गयां आवेदक ने अपर समाहर्ता के न्यायालय में रिभिजन आवेदन दायर कर दिया है जो संधार्य नहीं है वो खारिज होने योग्य हैं।

प्रस्तुत पक्ष से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के केवाला एवं निबंधित मरम्मतनामा को चुनौती दी है। निबंधित केवाला/मरम्मतनामा की चुनौती के बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु यह न्यायालय सक्षम नहीं है। इस के लिए माननीय सिविल न्यायालय ही सक्षम है।

सारे तथ्यों के आधार पर मैंने पाया कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास द्वारा पारित आदेश में त्रुटि नहीं है, आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। **भूमि सुधार उप समाहर्ता, द्वारा अपील वाद संख्या–05/16–17 में पारित आदेश दिनांक–07.04.17 को बरकरार रखते हुये आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है।**

आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, फुलपरास/अंचल अधिकारी, फुलपरास को भेजें। अंचल अधिकारी अपने स्तर से पक्षकारों को आदेश से अवगत करा दें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

9.3.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

9.3.19

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।